

In exercise of the powers under sub-section (1) of the section 3 of the ancient monuments preservation Act. 1904 (Act No. VII of 1904), as re-enacted by section 3 of the U.P. Ancient and Historical Monuments and Archaeological sites and Remains Preservation Act, 1956. (U.P. Act. No. VII of 1957), the Governor is pleased to propose to declare the ancient moments described in the schedule below to be the protected monuments within the meaning the said act. no. VII of 1904.

SI. No	State	District	Tehsil and Village	Name of the Monument sites	Revenue Gata No. to be taken under pro- tection	Area in Acres /Hectare	Boundaries	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Uttar	Spnbhadra	Tehsil-	Gothgani	728	Only Builtup	East – Gata No. 733 and	
	Pradesh		Obara	Temple group	729	Area of	734	
			Village-	(Somnath	725	group	West – Gata No. 724, 573	
			Gothani	Temple)	727	Temple	and 808/571	
			(Agori)	-	<u>808</u>		North – Gata No. 730,	
					571		731, 732	
							South – Gata No. 723 and	
							735	

SCHEDULE

Intimation

Objection, if any, to the issue of this notification may be sent in writing and shall be addressed to the Principal Secretary, Uttar Pradesh Shashan, Sanskriti Anubhag, Lucknow/ Director U.P. State Archaeology Department Kaiserbagh Lucknow or District Magistrate, Sonbhadra within one month from the date of the pasting of this notification on the monument.

By order,

(Uma Dwivedi) Joint Secretary

No. 209 (1)/Four 2024 Dated

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

- Director General, Archaeological Survey of India, Government of India, Janpath, New Delhi. Director. Cultural Affairs, U.P. Lucknow.
- Director. U.P. State Archaeology Department, Kaiserbagh, Lucknow with the request that objections, if any, against the issue of the above notification should be sent to the Principal Secretary, Uttar Pradesh Shasan, Sanskriti Anubhag, Bapu Bhawan, Sachivalaya, Lucknow.
- Divisional Commissioner, Mirzapur, U.P.
- 5 District Magistrate, Sonbhadra with the request that the objection against this notification shall be forwarded to the Principal Secretary, Uttar Pradesh Shasan Sanskrit Anubhag, Bapu Bhawan, Uttar Pradesh, Sachivalaya, Lucknow within the stipulated time.
- 6 Senior Superintendent of Police, Sonbhadra, U.P.
- 7 Superintendent, Publication and Stationary Deptt., U.P. Prayagraj with request that the notification may please be published in forthcoming gazette..

By order,

(Raghunath Prasad Verma) Under Secretary

उत्तर प्रदेश सरकार संस्कृति अनुमाग संख्या :- 2091 / चार- 2024 लखनऊ : दिनांक : 18-07-2024

प्रथम अधिसूचना

उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिस्क्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–7, सन् 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर, यथा–प्रयोज्य, एन्शियेन्ट मान्यूमेन्ट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 (अधिनियम संख्या –7, 1904) की धारा –3 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारकों / स्थानों को संरक्षित स्मारक घोषित करने की अधिसूचना जारी करते हैं :–

								<u> </u>
0क्त २२०	राज्य	ডি	ला	तहसील और ग्राम	स्मारक / रथान का	संरक्षण के अधीन लिये	क्षेत्रफल एकड / हेक्टे0	सीमाएं
					नाम	जाने वाली	में	
						राजस्व गाटा सं0		
1	2	3		4	5	6	7	8
1	उत्तर	सोन	भद्र	तहसील–	गोठाानी	728	मन्दिर समूह	पूर्व- गाटा संख्या-733 व
	प्रदेश			ओबरा	मन्दिर	729	निर्मित रकबा	734
				ग्राम—	समूह	725		
				गोठानी	(सोमनाथ	727		पश्चिम- गाटा संख्या-724,
				(अगोरी)	मन्दिर)	808		573 व 808 / 571
						571		
								उत्तर – गाटा संख्या–730,
								731, 732,
								दक्षिण– गाटा संख्या–723 व
								735

अनुसूची

सूचना

उल्लिखित अधिसूचना जारी किये जाने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, संस्कृति विभाग, बापू भवन उ० प्र० सचिवालय, लखनऊ, निदेशक, उ० प्र० राज्य पुरातत्व विभाग, छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ अथवा जिलाधिकारी, सोनभद्र को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में भेजी जा सकती हैं। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जाएगा, जो इस अधिसूचना के स्मारक पर चस्पा होने के दिनाक से एक माह के भीतर प्राप्त होंगी।

आज्ञा से,

(उमा द्विवेदी संयुक्त सचिव

सरव्या 2091 / - CTZ- (2024)/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
- 3- निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को स्मारक पर या उसके निकट किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाने एवं यदि कोई आपत्ति निर्धारित अवधि में प्राप्त होती है तो उसे शासन को प्रेषित करें।
- 4- मण्डलायुक्त, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश।
- 5- जिलाधिकारी, सोनभंद्र को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त आपत्तियाँ यदि कोई हो, तो अपनी टिप्पणी के साथ शासन को भेजने का कष्ट करें।
- 6— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश।
- 7- अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह उपरोक्त विज्ञप्ति को उत्तर प्रदेश गजट के आगामी अंक में कृपया प्रकाशित करें।

आज्ञा से,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा) अनु सचिव